रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1975/चैत्र 8, 1897

No. 117] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1975/CHAITRA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR

### ORDER

*New Delhi, the 28th March 1975*

S.O. 157(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the Rajasthan Atomic Power Project at Kotah would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent any strike in the said project;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the said project for a period of six months from the date of publication of this Order.

[No. F. S-42025/28/74-I.R.I]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च 1975

का० आ० 157(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः कोटा स्थित राजस्थान प्रमाणु शक्ति प्रायोजना में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त प्रायोजना में किसी हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रायोजना में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० 42025/28/74—एल० आर० I]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975